न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–213/2012
CIS NO-232/2018

अरूंदति देवी.....वादिनी

बनाम

शशीभूषण पांडेय उर्फ चंद्रप्रकाश पांडेय.....प्रतिवादी

17.12.2020 उभय पक्ष की पैरवी है। प्रतिवादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 17.06.2019 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में वादिनी की ओर से दिनांक 14. 11.2019 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपनी हकीयत की घोषणा तथा दखल कब्जे की पुष्टि हेतु लाया गया है। यह कि प्रतिवादी इस वाद में उपस्थित होकर बयान तहरीरी दाखिल कर संघर्ष कर रहा है। यह कि टंकक की गलती बयान तहरीरी की एक कंडिका टंकित होना छूट गया है। इस तथ्य की जानकारी प्रतिवादी को अपने साक्षियों के साक्ष्य तैयार कराने के क्रम में हुई, जिसे बयान तहरीरी में जोड़ना आवश्यक है। अन्यथा प्रतिवादी न्याय पाने से वंचित हो जाएगा। यह कि प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आयेगा, न ही वादिनी को कोई विधिक क्षति ही पहुँचेगी।

इस संबंध में वादिनी का कहना है कि प्रतिवादी का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन साजिश के तहत तथा विद्वेषपूर्ण आशय से वाद के निष्पादन को विलंबित करने तथा वादिनी को पेरशान करने हेतु दाखिल किया गया है। यह कि वादिनी की ओर से प्रस्तुत वाद में साक्ष्य समाप्त हो गया है तथा प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य चल रहा है। साक्ष्य के क्रम में प्रतिवादी का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण हो चुका है। ऐसी स्थिति में उनकी ओर से दाखिल संशोधन आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है तथा यदि संशोधन आवेदन स्वीकार किया जाता है तो वादिनी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन खारिज किया जाय।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपनी हकीयत की घोषणा तथा दखल कब्जे की पुष्टि हेतु लाया गया है। प्रतिवादी प्रस्तुत संशोधन आवेदन के माध्यम से बयान तहरीरी में वर्ष 1999 के बंटवारे के संबंध में एक नया पारा 11क जोड़ना चाहता है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल बयान तहरीरी के अवलोकन से

न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–213/2012
CIS NO-232/2018

अरूंदति देवी.....वादिनी

बनाम

शशीभूषण पांडेय उर्फ चंद्रप्रकाश पांडेय.....प्रतिवादी

भी स्पष्ट होता है कि पारा 10 में उसके द्वारा वर्ष 1999 में हुए मौखिक बंटवारे के संबंध में जिक्र किया गया है तथा प्रस्तावित संशोधन द्वारा उस तथ्य को और स्पष्ट करना चाहता है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद के स्वरूप में बदलाव प्रतीत नहीं होता है तथा इससे वादिनी को भी कोई विधिक क्षति नहीं होगी। ऐसी दशा में प्रतिवादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन स्वीकार करने योग्य प्रतीत होता है। प्रस्तुत वाद प्रतिवादी साक्ष्य में चल रहा है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है, फिर भी न्याय हित में प्रतिवादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन 500/–रू. हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत बयान तहरीरी में अपेक्षित संशोधन करें। वादिनी को भी स्वतंत्रता होगी कि यदि वह चाहें तो इस संबंध में वादपत्र में संशोधन कर सकती हैं। वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य दिनांक 15.01.2021

अवर न्यायाधीश(प्रथम)